न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थी –

1. मुन्नी पुत्री स्व. निम्बाराम
   जाति–जाट, निवासी– टांगला, तहसील–जायल जिला–नागौर, हाल निवासी–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. बाजूदेवी पत्नी स्व. निम्बाराम
2. रामजस पुत्री स्व. निम्बाराम जातियान–जाट, निवासीगण–टांगला, तहसील–जायल (नागौर)
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
4. उप पंजीयक जायल जिला–नागौर
5. आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा रोल जरिये शाखा प्रबंधक
6. आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा नागौर जरिये शाखा प्रबंधक
7. आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा मुण्डवा जरिये शाखा प्रबंधक

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

1. अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता एस.एस. कालवी अप्रार्थी सं. 1 से 2 की ओर से।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 5, 6 व 7 के विरूद्ध एक पक्षीय।

दिनांक : 12/07/2024

– : : आदेश : :–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सी. पी.सी. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का एक वाद न्यायालय हाजा में बाबत् बंटवारा खेताय एवं घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश कर रखा है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में तथ्य प्रकृट किये कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया की माता तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया की सगी बहन है। स्व. निम्बाराम जी के देहान्त के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ही उनके विधिक उतराधिकारी है। पक्षकारान की पुश्तेनी, सहखातेदारी तथा अविभाजित भूमि ग्राम गोठ तहसील–जायल में खसरा नं. 101/2, खसरा नं. 1518, 1546 ग्राम फरड़ौद तहसील जायल, खसरा नं. 55 ग्राम टांगली तहसील जायल, खसरा नं. 131, 233, 313/515, 334, 454 ग्राम टांगला तथा संयुक्त आमदनी से खरीद सुदा खेत खसरा नं. 332 ग्राम टांगला में स्थित है।

12/07/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

उक्त समस्त खेताय की भूमि में प्रार्थीया सहखातेदार है, चूंकि प्रार्थी की माता अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध व बीमार है तथा उक्त पुश्तैनी भूमियों का अपनी दोनो पुत्रियों 1/2 – 1/2 हिस्सा अनुसार स्वच्छा से दो साल पहले बंटवारा कर दिया व अप्रार्थी संख्या 1 कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं होने से प्रार्थीया के पिता से प्राप्त चल सम्पति अपने बंट में रखी तथा खेतो में से अपना हिस्सा त्याग कर दोनो पुत्रियो का आधे–2 खेताय बंट में दे दिये, यानि प्रत्येक खसरा मं 1/2 हिस्सा प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 का पारिवारिक समझौता कर बंटवारा कर दिया। परन्तु मौके पर भौतिक विभाजन होकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग–2 अमल दरामद नहीं हो सका। परन्तु मौके पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 अपने अपने हिस्से पर काश्त करसण करती आई है। अभी हाल ही में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 की अनबन हो जाने के कारण उसने अपने सहयोगियो के साथ मिलकर सलाह मशवरा कर अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थीया की माता है उसकी कमजोरी मानसिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 के साथ निवास कर रेकर्ड अप्रार्थी संख्या 1 का नाम भी खातेदारी में दर्ज होने का गलत तरीके से मुतदाविया खेतायों की भूमि का अपनी मनमर्जी से बेचान हस्तान्तण करने पर आमादा है व अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकियां दे रही है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों अनुसार ,मुतदाविया खेतायों की भूमि पुश्तैनी तथा सामलाती खातेदारी में होने से तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्सा चल सम्पति में प्राप्त कर लेने से अब मुतदाविया खेताया की भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 का बराबर हिस्सा है, तथा जब तलक विधिवत् बंटवारा न हो तब तक प्रत्येक खसरे की भूमि प्रत्येक खातेदार का बराबर अर्थात 1/2 हिस्सा निहित है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दूरभिसंधी करके चल सम्पति भी प्राप्त कर ली तथा खातेदारी में नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा भी बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है।, जबकि मुतदाविया खेताय अविभाजित भूमि है तथा सहखातेदारी में दर्ज है, यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बिना विधिवत् बंटवारे के मुतदाविया खेतायो की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण करने तथा खुर्द–बुर्द करने में सफल हो गये तो प्रार्थीया के हक अधिकारों पर कुठाराधात होगा जिसकी भरपाई की जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रकरण हाजा में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिए ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया कि वे विवादित पुश्तैनी अविभाजित भूमि हाल ग्राम गोठ तहसील–जायल में खसरा नं. 101/2, खसरा नं. 1518, 1546 ग्राम फरड़ौद तहसील जायल, खसरा नं. 55 ग्राम ,टांगली तहसील जायल, खसरा नं. 131, 233, 313/515, 334, 454 ग्राम टांगला तथा संयुक्त आमदनी से खरीद सुदा खेत खसरा नं. 332 ग्राम टांगला तहसील जायल में प्रार्थीया के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में किसी प्रकार दखलन्दाजी न तो स्वयं करे तथा ना किसी अन्य से करावे साथ ही उक्त खेतायों या इनके किसी भी भू–भाग का बैचान, गिरवी, हस्तान्तरण बख्शीश, वसीयत आदि नहीं करे साथ ही मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते हस्तगत प्रकरण में जवाबदेही हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से वकील श्री एस.एस. कालवी ने मूल वाद में वकालात नामा एवं हस्तगत प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3, 4 के सम्मन स्वयं से तामील सुदा प्राप्त हुआ जो प्रकरण में परफोर्मा पक्षकार है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

तथा अप्रार्थी संख्या 5 से 7 के सम्मन बाजवूद तामीली सूचना के प्राप्त होने पर भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना मय काउन्टर क्लमे पेश करते हुये जवाब प्रा. पत्र में अंकित आंशिक तथ्यों को स्वीकार करते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य निराधार है। प्रार्थीया यह कहना सही है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खेताय पुश्तेनी तथा स्व. निम्बाराम से प्राप्त सुदा है परन्तु यह कहना गलत है कि मौजा टांगला तहसील जायल का खसरा नं. 332 सामलाती कमाई से खरीद किया हुआ है, जबकि उक्त खेताय की भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 की स्वअर्जित आयकी है जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 'का कोई हक हिस्सा नहीं है, प्रार्थीयां का यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 बीमार व वृद्ध है, जबकि मुतदाविया खेताय की सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कसरण भी करती है। प्रार्थीया स्वयं अपने पति के साथ नागौर में निवास करती है तथा अप्रार्थी संख्या 2 कुछ समय पहले से ही ग्राम टांगला में निवास कर रही है, प्रार्थीया का यह कहना भी गलत है कि मुतदाविया खेतायों की भूमि मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 का ही 1/2 – 1/2 हिस्सा है, जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है। साथ ही प्रार्थीया का यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना हिस्सा प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हकत्याग कर दिया हो तथा मौखिक बंटवारा कर दिया हो साथ ही जब विभाजन ही नही हुआ तो अमल दरामद का प्रश्न नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थीया का यह कथन भी गलत है कि प्रार्थीया की अप्रार्थी संख्या 2 से अनबन हो जाने से सम्पूर्ण भूमि पर अपने नाम करवाने पर उतारू हो, जबकि प्रार्थीयां के पति ने धोके में रखकर उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को बैंक के रहन कर दिया तथा किसान केडिट कार्ड बनाकर रकम हड़प ली। साथ ही प्रार्थीया का यह कथन भी बिल्कूल निराधार है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 मुतदाविया खेतायों की भूमि का बैचान, हस्तान्रण, गिरवी अथवा प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि से बेखदल करने पर उतारू अथवा आमादा हो, जबकि आजकल प्राथीया तथा उसका पति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को धमकिया देने लग गये है किस बार बरसात होने पर सम्पूर्ण भूमि पर वे ही काश्त करेगें तथा अप्रार्थीगण को काश्त नहीं करने देगें तथा जबरन बेदखल कर देगे। विगत 2 वर्षो अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में प्रार्थी तथा उसका पति लड़ाई झगड़े करके अप्रार्थी को काश्त नही करने दे रहे है तथा सम्पूर्ण भूमि बिना काश्त ही पटक रखा है जिससे अप्रार्थीगण को बड़ा भारी नुक्सान हो रहा है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा किया गया वाद एवं प्रार्थना पत्र निराधार है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायसंगत नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण संया 1 व 2 के 1/3–1/3 हिस्से की भूमि में काश्त करने न तो स्वयं रोक तथा ना ही किसी अन्य से बाधा डाले।

चूंकि प्रकरण में समस्त पक्षकारान की तलबी हो चुकी है तथा मैन पक्षकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 परफोर्मा पक्षकार है तथा अप्रार्थी संख्या 5 से 7 बैंक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है इसलिए प्रकरण में वकुलाय की सहमति पर बहस अन्तिम हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

3. पत्रावली बहस हेतु नियत तारीख पेशी पर पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया श्री चन्द्रशेखर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया की माता तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया की सगी बहन है। स्व. निम्बाराम जी के देहान्त के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ही उनके विधिक उतराधिकारी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तेनी, सहखातेदारी तथा अविभाजित भूमि ग्राम गोठ तहसील–जायल में खसरा नं. 101/2, खसरा नं. 1518, 1546 ग्राम फरड़ौद तहसील जायल, खसरा नं. 55 ग्राम टांगली तहसील जायल, खसरा नं. 131, 233, 313/515, 334, 454 ग्राम टांगला तथा संयुक्त आमदनी से खरीद सुदा खेत खसरा नं. 332 ग्राम टांगला में स्थित है। प्रार्थी की माता अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध व बीमार होने से पुश्तैनी भूमियों में अपना हिस्सा प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हकत्यागर कर 1/2 – 1/2 हिस्सा स्वच्छा से दो साल पहले बंटवारा कर दिया। तथा अप्रार्थी संख्या 1 कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं होने से प्रार्थीया के पिता से प्राप्त चल सम्पति अपने बंट में रखी। मौके पर भौतिक विभाजन होकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग–2 अमल दरामद नहीं हो सका। परन्तु मौके पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 अपने अपने हिस्से पर काश्त करसण करती आई है। अभी हाल ही में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 की अनबन हो जाने के कारण उसने अपने सहयोगियो के साथ मिलकर सलाह मशवरा कर अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थीया की माता है उसकी कमजोरी मानसिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 के साथ निवास कर रेकर्ड अप्रार्थी संख्या 1 का नाम भी खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर मुतदाविया खेतायों की भूमि का मनमर्जी से बेचान हस्तान्तण करने व प्रार्थीयां उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकियां दे रही है। जबकि मुतदाविया खेतायों की भूमि पुश्तैनी तथा सामलाती खातेदारी में होने से तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्सा चल सम्पति में प्राप्त कर लेने से अब मुतदाविया खेताया की भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 का ही बराबर–बराबर हिस्सा निहित है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दूरभिसंधी करके चल सम्पति भी प्राप्त कर ली तथा खातेदारी में नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा भी हड़प कर हिस्सा विशेष की भूमि बैचान हस्तान्तरण करने तथा प्रार्थीया उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जबकि मुतदाविया खेताय अविभाजित भूमि है तथा सहखातेदारी में दर्ज है, यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बिना विधिवत् बंटवारे के मुतदाविया खेतायो की भूमि में से हिस्सा विशेष की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण करने तथा भूमि को खुर्द–बुर्द करने में सफल हो गये तो प्रार्थीया के हक अधिकारों पर कुठाराधात होगा जिसकी भरपाई की जाना संभव नहीं होगा।

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है, इसलिए ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया कि वे विवादित पुश्तैनी अविभाजित भूमि हाल ग्राम गोठ तहसील–जायल में खसरा नं. 101/2, खसरा नं. 1518, 1546 ग्राम फरड़ौद तहसील जायल, खसरा नं. 55 ग्राम टांगली तहसील जायल, खसरा नं. 131, 233, 313/515, 334, 454 ग्राम टांगला तथा संयुक्त आमदनी से खरीद सुदा खेत खसरा नं. 332 ग्राम टांगला तहसील जायल में प्रार्थीया के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में किसी प्रकार दखलन्दाजी न तो स्वयं करे तथा ना किसी अन्य से करावे साथ ही उक्त खेतायों या इनके किसी भी भू–भाग का बैचान, गिरवी, हस्तान्तरण बख्शीश, वसीयत आदि नहीं करे साथ ही मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Scanned with CamScanner

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा दलीलें पेश कि की प्रार्थी के बताये अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य निराधार है। प्रार्थीया यह कहना सही है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खेताय पुश्तेनी तथा स्व. निम्बाराम से प्राप्त सुदा है। मौजा टांगला तहसील जायल का खसरा नं. 332 की भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 की स्वअर्जित आय की है जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 का कोई हक हिस्सा नहीं है, अप्रार्थी संख्या 1 बीमार व वृद्ध नहीं है, जबकि मुतदाविया खेताय की सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कसरण भी करती है। प्रार्थीया स्वयं अपने पति के साथ नागौर में निवास करती है तथा अप्रार्थी संख्या 2 कुछ समय पहले से ही ग्राम टांगला में निवास कर रही है। मुतदाविया खेतायों की भूमि मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 का ही 1/2 – 1/2 हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 2/3 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना हिस्सा प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हकत्याग करने का कथन तथा मौखिक बंटवारा कर दिया हो कथन गलत व निराधार है क्योंकि मुतदाविया खेतायों का अभी विधिवत् विभाजन ही नही हुआ तो अमल दरामद का प्रश्न नहीं है। प्रार्थीया का यह कथन भी सर्वथा गलत है कि प्रार्थीया की अप्रार्थी संख्या 2 से अनबन हो जाने से सम्पूर्ण भूमि पर अपने नाम करवाने पर उतारू हो, बल्कि प्रार्थीयां के पति ने धोके में रखकर उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को बैंक के रहन कर दिया तथा किसान केडिट कार्ड बनाकर रकम भी हड़प ली। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 मुतदाविया खेतायों की भूमि का बैचान, हस्तान्रण, गिरवी अथवा प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि से बेखदल करने पर उतारू अथवा आमादा नहीं है, अपितु प्राथीया तथा उसका पति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मुतदाविया खेतायो की भूमि से बेदखल करने की धमकिया दे रहे है कि, इस बार बरसात होने पर सम्पूर्ण भूमि पर वे ही काश्त करेगें तथा अप्रार्थीगण को काश्त नहीं करने देगें तथा जबरन बेदखल कर देगे। मुतदाविय खेतायों की भूमि विगत 2 वर्षो से अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में सम्पूर्ण भूमि बिना काश्त ही पटक रखी है जिससे अप्रार्थीगण को बडा भारी नुक्सान हो रहा है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा किया गया वाद एवं प्रार्थना पत्र निराधार है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायसंगत नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण संया 1 व 2 के 1/3–1/3 हिस्से की भूमि में काश्त करने न तो स्वयं रोक तथा ना ही किसी अन्य से बाधा डाले।

4. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट है कि मुतदाविया खेतायो की भूमि में खसरा नं. 332 ग्राम टांगला तहसील जायल की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उमाराम पुत्र चिमनाराम जाट निवासी टांगला तहसील जायल से जरिये विक्रय पत्र क्रय की है। इसी प्रकार विवादग्रस्त खसरा की भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सहखातेदार दर्ज है तथा बंटवारा खेताय, घोषणा खातेदारी तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसका विधिवत् प्रक्रिया अनुसार अन्तिम तौर निस्तारण किया जाना शेष है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत वादपत्र के अन्तिम निर्णय से सहखातेदारान का हिस्सा विनिश्चय होगा। चूंकि प्रकरण हाजा में विवादग्रस्त खसरान की भूमि सहखातेदार में दर्ज है। चूंकि प्रकरण में वर्णित ग्राम गोठ तहसील–जायल में खसरा नं. 101/2, खसरा नं. 1518, 1546 ग्राम फरड़ौद तहसील जायल, खसरा नं. 55 ग्राम टांगली तहसील जायल, खसरा नं. 131, 233, 313/515, 334, 454 ग्राम टांगला तहसील जायल की भूमि स्व. निम्बाराम की मृत्यु हो जाने पर जरिये नामान्तकरण के प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सुदा है

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

जो कि पुश्तैनी भूमि होना प्रमाणित है तथा प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्व. निम्बाराम के विधिक वारिसान होना भी स्वप्रमाणित है। प्रकरण में ग्राम टांगला के खसरा 332 की भूमि को छोड़कर शेष विवादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रत्येक पक्षकार (प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2) का बराबर बराबर अर्थात 1/3–1/3 हिस्सा निहित है। बिना विधिवत बंटवारे के प्रत्येक सहखातेदारान का विवादग्रस्त भूमि के प्रत्येक हिस्से पर हक होता है। प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति किसी एक पक्ष की बजाय दोनों पक्षों को होना प्रतीत होता है साथ ही भविष्य में भी इन्ही पक्षकारों के मध्य में विवाद बढने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण हाजा में दोनो पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना उचित होगा।

: : आदेश : –

अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को ताफैसला वाद जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम गोठ तहसील–जायल में खसरा नं. 101/2, खसरा नं. 1518, 1546 ग्राम फरड़ौद तहसील जायल, खसरा नं. 55 ग्राम टांगली तहसील जायल, खसरा नं. 131, 233, 313/515, 334, 454 ग्राम टांगला तहसील–जायल की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण नहीं करे तथा एक–दूसरे खातेदार के हक हिस्से 1/3–1/3 (प्रार्थी का 1/3 तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 2/3) की भूमि पर काश्त करने से नहीं रोके तथा ना ही एक–दूसरे खातेदार को बेदखल करे। साथ मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति भी बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

आदेश आज दिनांक 17/09/2021 को मेरे ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

17/09/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर

Scanned with CamScanner